न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2011 पुनरीक्षण R-1351-III/2011

भगवानदीन तेली पुत्र श्री रामा तेली
निवासी ग्राम डोल, तह. सिंहावल,
जिला सीधी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

सुदामा नाई पुत्र श्री सत्यदीन नाई
निवासीग्राम डोल, तह. सिंहावल
जिला सीधी (म.प्र.)

...... अनावेदक

द्वारा आज दि 25-8-11 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-8-11
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र.क. 472/निग./09-10 में पारित आदेश दिनांक 20.9.10 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक ने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम डोल तहसील सिंहावल में स्थित शासकीय भूमि खसरा पुराना नं. 113 एवं नया नं. 124 रकवा 4.00 ए. में उसका देरीना (लंबे समय) कब्जा है इस आधार पर बंटन हेतु प्रार्थना की तथा आवेदक ने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष भूमिस्वामी होने के लिये निवेदन किया क्योंकि आवेदक भूमिहीन कृषक है एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1351–तीन/2011 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2016	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। दोनों अभिभाषकों तर्क श्रवण किये गये। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते अनावेदक सुदामा की मृत्यु 13–5–07 को हो गई थी, परन्तु अपर आयुक्त न्यायालय की ज़ानकारी में यह तथ्य नहीं आने से अपर आयुक्त ने ओदश दिनांक 20–9–2010 को जो आदेश पारित किया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध हो जाने से अवैधानिक हो गया है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये। यह भी तर्क दिया कि चुकि आवेदक को अनावेदक के मृत होने की जानकारी नहीं थी इसलिए उसके द्वारा इस न्यायालय में अनावेदक सुदामा को पक्षकार बनाया है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि चूंकि अपर आयुक्त न्यायालय की जानकारी में तथ्य नहीं आया था इसलिए प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई आपत्ति नहीं है। 3/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक भगवानदीन द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अपील के प्रचलित रहते अनावेदक सुदामा की मृत्यु दिनांक 13–5–07 को हो गई थी,	

परन्तु अपर आयुक्त न्यायालय में मृत्यु की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से जानकारी के अभाव में अपर आयुक्त ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध/हित में दिनांक 20–9–10 को आदेश पारित कर दिया। चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने दिनांक 25–8–11 तक अनावेदक सुदामा की मृत्यु की जानकारी नहीं होने से इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में अनावेदक सुदामा को पक्षकार बना दिया गया। चूंकि अपर आयुक्त द्वारा जानकारी के अभाव में मृत व्यक्ति के विरूद्ध/हित में आदेश पारित किया, जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 20–9–10 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मृतक सुदामा के वैद्य वारिसों को रिकार्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण करें।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य